पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजभवन में राष्ट्रगान संबंधित दूसरी याचिका को भी खारिज किया

लखनऊः 6 नवम्बर, 2015

न्यायमूर्ति एस0एन0 शुक्ला एवं न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खण्डपीठ ने राजभवन में आयोजित गत 31 अक्टूबर, 2015 को मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान को लेकर दायर एक अन्य याचिका को बलहीन एवं निराधार पाते हुए आज खारिज कर दिया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में जगहित संघ नाम की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिवक्ता श्री आर0आर0 ओझा के माध्यम से एक याचिका दायर की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि राजभवन में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान को लेकर यह दूसरी याचिका थी। इससे पूर्व गत 4 नवम्बर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायमूति डी0वाई0 चन्द्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति एस0एन0 शुक्ला की खण्डपीठ ने प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक द्वारा राष्ट्रगान रूकवाये जाने संबंधित याचिका में राज्यपाल की प्रमुख सचिव को अधिवक्ता विनोद कुमार, पूर्व अध्यक्ष जूनियर बार एसोसिएशन प्रतापगढ़ द्वारा विपक्ष बनाये जाने को असंवैधानिक तथा अनावश्यक मानते हुए अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया था।